

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल

आदेश

क्रमांक 01-13/3801/21

जबलपुर, दिनांक 26/10/2009

आदेश क्रमांक 01-13/3801/07 दिनांक 23-07-2009 के तारतम्य में मण्डल ने निर्णय लिया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नानुसार महंगाई भत्ता देय होगा :-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
01-11-2009	मूल वेतन + ग्रेड पे का 19 % (उन्नीस प्रतिशत)
01-01-2010	मूल वेतन + ग्रेड पे का 22 % (बाईस प्रतिशत)

2. महंगाई भत्ते की गणना के लिए 50 पैसे या उससे अधिक अंश को एक रुपया माना जावेगा तथा 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जावेगा.

3. इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 01-11-2009 से देय 19 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान माह नवम्बर 09 के वेतन के साथ एवं दिनांक 01-01-2010 से देय 22 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान माह जनवरी 2010 के वेतन के साथ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगद किया जावेगा.

आदेशानुसार

E. N. S. S.
26.10.09

(राजीव श्रीवास्तव)

अतिरिक्त सचिव (कार्मिक)-एक

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

जबलपुर, दिनांक 26/10/2009

क्रमांक 01-13/3801/22

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा. टास. कंपनी लिमि./म.प्र.पा. जनरेटिंग कंपनी लिमि./म.प्र. पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित्त. कं. लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर
2. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर।
3. प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमि. जबलपुर./शहपुरा टीपीपी, जबलपुर।
4. निदेशक (सतर्कता एवं सुरक्षा), म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर।
5. समस्त कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियन्ता, म.प्र.रा.वि.म./म.प्र.पा.टा./म.प्र.पा.जन./म.प्र. पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित्त. कं. लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कार्मिक) सचिवालय/(कार्मिक) दो, म.प्र.रा.वि.म., जबलपुर।
7. कार्यपालक निदेशक (संपर्क), म.प्र.रा.वि.म.ई-4, अरेरा कालोनी, भोजपुर क्लब के सामने, भोपाल।
8. प्रबंध निदेशक (अग्रेक्स बाडी), शक्ति भवन, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर।
9. कार्यपालक निदेशक (वित्त)/निदेशक (वित्त)/(वित्त एवं लेखा), म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/म.प्र.पा. जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड/म.प्र.पा. टासमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर/